ORIGINAL RESEARCH PAPER

Social Science

भारत की आधी आबादी के समाजिक आर्थिक स्थिति पर विवेचनात्मक विशलेषण

KEY WORDS: मुस्लिम महिला, दयनीय स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति, मुख्य धारा।

डॉ. शबनम बानो

ABSTRACT

मुस्लिम आबादी भारत की आजादी के समय लगभग 3.01 करोड़ थी लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी की कुल आबादी का प्रतिशत 14.87 तक हो गई है। अतः भारत में धर्म पर आधारित सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम सम्प्रदाय है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्यों पिछड़ रहा हैं ।

अतः मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक एंव शैक्षणिक उत्थान समुचित रूप से जब हि सम्भव हो पाएगा जब उन्हें पुरूष के बराबर समानता के अधिकार मिलेगें ट्रिपल तलाक, बहु विवाह, पर्दाप्रथा जैसी प्रथाओं का पुनः अवलोकन होगा। देष में यूनिफॉम सिविल कोर्ट के मुद्दे पर भी खुली बहस सभी समुदायों को साथ रखा करने से मुस्लिम समुदाय को भी आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होने कि पूरी–पूरी सम्भावना हैं। साथ हि मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड के लिखित प्रावधानों की समस्या भी समय कि मांग है ।

यह यहां उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि मान्नीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य महसूस की जा रही है, जो चिन्ता का विषय है । इन विभिन्न योजनाओं को प्रारम्भ हुए दो से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो गया है किन्तु इन योजनाओं का अनुपातिक फायदा देश की मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह शोध का विषय है । देश के समान नागरिक कानून की बात हो रही है, वह देश हित में समयानुसार उचित प्रतीत होता है । देश की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं स्वयं उन्हें देश के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सभी को सम्भावित प्रयास करने होंगे । केन्द्र एवं राज्य सरकारों का विशेष शिविरों का आयोजन कर मुस्लिम महिलाओं के उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर को उठाना होगा, तभी देश का सर्वांगीण विकास हो पायेगा । लेखक द्वारा अंकित शोध के मुख्य परिणामों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा अमल करने की महत्ती आवश्यकता है ।

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही हमारे देश में महिलाओं को आदर भाव की दृष्टि से देखा गया है तथा आज भी हमारे समाज में महिलाओं को एक विशेष स्तर प्राप्त है। संविधान द्वारा भी महिलाओं को विशेष अधिकार दिये गये हैं ताकि वे अपना विकास कर सके। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है जिसमें आधी महिलाएं भी है जो अशिक्षित, रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों से जकड़ी हुई हैं।

इस्लाम में पहले महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय रही परन्तु मोहम्मद साहब के आगमन के पश्चात महिलाओं की किस्मत का सितारा चमक उठा । परिवार व समाज में महिलाओं का सम्मान व आदर किया जाने लगा। इस्लाम के अनुसार स्त्री का निर्माण पुरूष की बाईं फसली से हुआ – इसका मतलब यह है कि महिला व पुरूष दोनों एक दुसरे के अभिन्न अंग है । कुरान के शब्दों के अनुसार स्त्री पुरूष का लिबास है। स्त्री के बिना पुरूष अधुरा है। मोहम्मद साहब ने स्त्रियों की स्थिति में चमत्कारी परिवर्तन किया।

मुस्लिम आबादी भारत की आजादी के समय लगभग 3.01 करोड़ थी लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी की कुल आबादी का प्रतिशत 14.87 तक हो गई है। अतः भारत में धर्म पर आधारित सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम सम्प्रदाय है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्यों पिछड़ रहा हैं, वैसे तो पिछड़ापन प्रत्येक क्षेत्र में ही स्पष्ट दिखलाई पड़ता हैं लेकिन इन सबका मूल कारण शिक्षा ही है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक, यूनीसेफ आदि अंतराष्ट्रीय संस्थाएँ तथा एन.जी.ओ. भी विशेष रूचि ले रहे हैं। फिर भी भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, बहु विवाह, तीन तलाक आदि रूढ़ीवादी विचारों में जकड़ी हुई है।

सच्चर रिपोर्ट: भारत सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दिशा के आंकलन हेतु सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि विकास मानकों की दृष्टि से देश में मुस्लिम समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में पिछड़ा हुआ हैं। अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्वीकार किया है कि मुस्लिम समुदाय में निरक्षकता व निर्धनता अपेक्षाकृत अधिक है। इसने अपनी रिपोर्ट में उच्च कोटि की शिक्षा, स्कूली शिक्षा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रिम स्थान प्राप्त करने के लिए मुस्लिमों की पहुंच में वृद्धि करना, उद्यमशील विकास के लिए मुस्लिमों को प्रशिक्षण प्रदान करना, माइक्रो क्रेडिट स्कीमों में मुस्लिमों की भागीदारी निश्चित करना तथा साथ ही साथ मुस्लिमों के लिए सीएसएस व केन्द्रीय योजना स्कीमें (योजनाएँ) लागू करना है। सच्चर रिर्पोट में मुस्लिम समाज के उत्थान हेतु निम्न विवरण अंकित किया हैं।

1 देश में सर्वाधिक 13.8 करोड़ जनसंख्या वाला अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मानकों में अन्य समुदायों की तुलना में पिछड़ा हुआ हैं।;

- 54.6 प्रतिशत ग्रामीण मुस्लिमों तथा 60 प्रतिशत शहरी मुस्लिमों ने कभी किसी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत क्रमशः 40.8 प्रतिशत व 19.9 प्रतिशत है।;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मुस्लिमों में 94.9 प्रतिशत निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा सब्सिडी खाद्यान्नों तक भी उनकी पहुंच नहीं हैं।;
- ग्रामीण मुस्लिमों में 0.8 प्रतिशत शहरी मुस्लिमों में 3.1 प्रतिशत ही स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं। शहरी क्षेत्रा में 1.2 प्रतिशत मुस्लिम ही स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्राप्त कर पाते हैं।;
- 90 फीसदी मुस्लिम कक्षा 10 (मैट्रिक) तक भी नहीं पहुंच पाते।;
- देश में 88 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में मुसलमान का प्रतिशत केवल 4.9 है जो समुदाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाता हैं।;
- देश में 60.2 प्रतिशत मुस्लिम भूमिहीन हैं जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति शौचनीय एवं अविकसित हैं।
- शिक्षा के साथ–साथ जमीनों व सम्पत्ति पर मालिकाना हक के मामले मे भी मुस्लिम समुदाय काफी पीछे हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् मुस्लिम शिक्षा का प्रसार: स्वतंत्र राष्ट्र के रूप ने भारत में अपने नव–निर्माण के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता का अनुभव किया। देश की स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा का बड़ी तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 भाग हैं जिसके चतुर्थ भाग में 'अल्पसंख्यकों की शिक्षा' पर विशेष बल दिया गया हैं।

भारतीय संविधान में धार्मिक, शैक्षिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सरकार प्रत्येक धार्मिक विचारधारा वालों के साथ समान बर्ताव करेगी और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25,26,27,28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यक: भारतीय समाज का बहुमत हिन्दू धर्मावलम्बी है और देश की कुल जनसंख्या में हिन्दुओं की जनसंख्या 82.72 प्रतिशत है। शेष 17.28 प्रतिशत जनसंख्या में मुसलमान, ईसाई, सिक्ख और अन्य धर्मानुयायी आते हैं। देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को न केवल कानून द्वारा समान अधिकार एवं संरक्षण की गारण्टी प्राप्त है बल्कि उन्हें समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं :

1. यह वृहद् समुदाय का उप–समुदाय है जिनकी संख्या अन्य लघु समुदायों की अपेक्षा सर्वाधिक हैं।;
2. यह समुदाय परस्पर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक सूत्र में बंधा हैं।;
3. इस समुदाय के सामान्य सदस्यगण अपने प्रति किए गए व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते। आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में इनकी पहुँच सीमित होती है।
4. सरकार के अनेकानेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बाद भी मुस्लिम समुदाय में एक असुरक्षा की भावना दृष्टिगोचर होती है, जिसकी अभिव्यक्ति समय–समय पर विभिन्न रूपों में होती रही है।

भारतीय संविधान द्वारा **शैक्षिक अवसरों की समानता के मुद्दों को मुस्लिम समुदाय** के संदर्भ में देखा जाएं तो दो आधारभूत प्रश्न उठते हैं–

(अ) क्या शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धान्त को वास्तव में व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है?

(ब) क्या इन अवसरों के प्रावधानो का लाभ मुस्लिम समुदाय सही अर्थों में हा रहा हैं?

मुस्लिम महिला इस्लामी दर्शन, कुरान एवं हदिस: कुरान व हदीस ने महिला एवं पुरुश के रिश्तों का जो ताना–बाना बुना प्रस्तुत किया है उसमें स्त्री और पुरुश को विभिन्न भूमिकाएं सौंपी है और उसी के अनुसार दर्जा, कर्तव्य, सुविधाएँ तथा अधिकार दिये हैं। कुरान एक धर्म का प्रचार करता है,जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर होना आवष्यक हैं। प्रत्येक जाति में स्त्री, पुरुश दो अंग हैं, इन दोनो के भरोसे ही कोई भी जाति संसार में उन्नति के पथ पर सरपट भाग सकती हैं। समाज में भी इन दोनो का यथा स्थान विनियोग हुआ हैं। कुरान में स्त्रियों को जो स्थान प्रदान किया गया है उसकी महत्ता हमें उस समय की स्थिति पर विचार करने से ही मालूम होगी।

कुरान में परिवार : इस्लाम ने सामाजिक जीवन में परिवार को आधारभूत महत्व दिया हैं। वह जिस प्रकार के परिवार का गठन चाहता है, उसकी रूपरेखा स्पष्ट की हैं। कुरान ने औरत और मर्द दोनो की उत्पत्ति एक ही जान से बताते हुए उसकी इंसानी बराबरी पर जोर दिया। जहां तक औरतों के अधिकार और कर्त्तव्यों का सवाल है उनमें भी बराबरी है ऐसा नहीं है कि अधिकार कम दिये गये है और कर्तव्य अधिक। कुरान में स्पष्ट कहा गया है, "औरतों पर जैसे फराइज है वैसे ही इनके हूकूक भी है।' कुरान और और मर्द दोनो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों में बराबरी का दृष्टिकोण रखता है।

कुरान में बहुविवाह: सूरे निसा की आयत नं. 3 में इस्लाम में बहुविवाह की इजाज़त कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई है, इस पर भी पाबन्दियाँ लगाई गई है। तारीखी और सामाजी पृष्ठभूमि में देखा जाये तो एक से अधिक शादियों की आज्ञा बेसहारा और यतीम लड़कियों को सहारा देने के लिए दी गई है। परन्तु यह भी बता दिया गया है कि यदि पत्नियों में बराबरी न कर सको तो एक ही बेहतर है। पत्नियों से बराबरी का व्यवहार बहुविवाह के लिए अनिवार्य है। लावारिस और विधवाओं को सहारा देना इस्लाम में महत्वपूर्ण माना गया है।

कुरान में तलाक: इस्लाम यह मानता है कि पति–पत्नी को साथ तब तक रहना चाहिए जब तक उनमें प्यार हो और एक दूसरे के साथ निभाने की क्षमता हो। जब दोनों का साथ रहना प्रयास करने पर भी सम्भव नहीं हो ऐसी स्थिती में इस्लाम पुरूष को 'तलाक' और स्त्री को 'खुला' का अधिकार देता है।

कुरान में खुला: 'खुला' उस विवाह विच्छेद अर्थात तलाक को कहते है जिसमें स्त्री स्वयं विवाह विच्छेद (तलाक) के लिए अनुरोध और मांग करती है। औरत को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया है जिसे 'खुला' कहते है। मुस्लिम औरत को बालिग होने पर महरम जिससे निकाह हो सकता है, से पर्दा करना होता है। पर्दे को अरबी भाषा में 'हिजाब' कहते है।

कुरान में स्त्री, पुरूश की समान शिक्षा पर जोर: सभी मुस्लमानों को तालीम हासिल करने

की ताकीद की गई है। संसार में मौजूद सब तरह के ज्ञान विज्ञान जानने और उस पर गौर करने की दावत कुरान देता है। कुरान में सुरः इकरा सबसे पहले नाजिल की गई जिसके माने है पढ़ो (यदि तुम्हे चीन भी जाना पड़े तो जाओ)।

मेहर का अधिकार : स्त्रियों को निकाह के समय महर बंधानी होती है जो कि पुरूष की आमदानी के अनुसार होती है। उसे पर सिर्फ महिला का अधिकार होता है।

पिता की सम्पत्ति में अधिकार : इस्लाम में पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी अधिकार दिया गया है। लड़के को 60 प्रतिशत व लड़की को 40 प्रतिशत हिस्सा देने का अधिकार है।

लेखक द्वारा सम्पन्न शोध के मुख्य परिणाम :

वर्ष 2017 में लेखक द्वारा उदयपुर शहर की महिलाओं की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन विषय पर शोंध प्रबन्धक प्रस्तुत किया गया। इस शोध में चार सौ महिलाओं के साक्षात्कार हेतु विशेष 47 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गइ । प्राप्त उत्तरों की विभिन्न सारणियां बनाई जाकर उनका विश्लेषण किया गया।

शोध के उभर कर आये महत्वपूर्ण सुझाव :

1. मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ संषोधन किया जाना समाज की महिलाओं के सर्वांगिण विकास हेतु अत्सन्त आवश्यक हैं जैसे ट्रिपल तलाक सिस्टम में होना उत्ताहित करना ,बहुविवाह को बढ़ावा न देना आदि। इस हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बन शीघ्र कार्यवाही हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भेजनी नितांत आवष्यक हैं। एक साथ तीन बार तलाक कह कर तलाक देने वाली प्रथा पर अंकुष लगाना अत्यन्त आवष्यक हैं।
2. मुस्लिम ग्रन्थों के लिखित स्त्री–पुरूश समानता के तथ्य बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज की महिलाओं तक जागरूकता षिविरो, नुक्कड़ नाटको, कठपुतली शॉ के माध्यम से पहुँचाये जाये तब ही पुरुश प्रधानता में कमी जावेगी तथा मुस्लिम महिलाए जागरूक होकर अपने मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने हेतु तत्पर हो सकेगी।
3. आज भी मुस्लिम महिलाओं हेतु मस्जिदों में प्रवेष निशेध हैं। करना यह गैरकानूनी घोशित करना जरूरी हैं। मुस्लिम धर्म में स्त्री एंव पुरुश दोनों के धर्म अपनाने एंव उसे अनुसरण करने का बराबर का अधिकार देता हैं। इस हेतु राज्य एंव केन्द्र सरकारों के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधीयों से बातचीत कर सर्वधर्म बैठकों से उपयुक्त हल निकालना चाहिये।
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेषन एक्ट,1937 हमारे देष के मुस्लिम समाज पर लागू होता हैं। इसके अन्तर्गत तीन बार तलाक कह देने पर से जीवन भर के संबध विच्छेद हो जाता हैं तथा.जिसे तलाक किया जाता हैं उसकी राय को इसमे जरूरी नहीं माना गया हैं। इस एक्ट मे बदलाव की जरूरत है। क्योकि यह तथ्य महिला के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। वही बहुसंख्यक समाज में तलाक से बचने के लिए महिला या कोई भी पक्ष हिन्दू विवाह कानून की धारा 9 का इस्तेमाल कर अपना मजबूत पक्ष रखता हैं। जिससे तलाक लेने की प्रकिया बहुत ही जटील हो जाती हैं। तथा स्त्री पक्ष को अपने बचाव का पूर्ण मौका मिलता हैं। अतः मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में अचूक परिवर्तन करने कि महती आवश्यकता हैं। वैसे भी वर्तमान में सभी भारत वर्श के नागरिकों हेतु एक ही प्रकार की नागरिक संहिता पर बहस भी चल रही हैं जो जरूरी प्रतीत होती हैं।
5. श्रीमती शाहस्ता अतर अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन बार मौखिक रूप से दिये जाने वाले तलाक के विरूद्ध देष में मुहिम चला रखी हैं। ऐसे संगठनों को सरकार प्रोत्साहित करे। इसी प्रकार भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन भी मुस्लिम महिला के अधिकारों को दिलाने हेतु बाधित हैं। सरकार ने ऐसे संगठनों को सकरात्मक सहयोग देना चाहिए। तीन तलाक पर विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है ।
6. पाकिस्तान में भी मुस्लिम महिलाओं को पुरूशों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं को मनाहि हैं। ऐसे में महिलाए कैसे पुरुश से कन्धा से कन्धा मिला कर चल पायेगी।
7. राजस्थान सरकार का अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अल्पसंख्यक युवाओं हेतु निषुल्क रोजगारोन्मुखी कौषल विकास प्रषिक्ष्ण कार्यक्रम चलता रहता हैं, इनके बारे में उदयपुर शहर की मुस्लिम महिलाओं को जानकारी नही के बराबर हैं, अतः राज्य सरकार से विभिन्न मौहल्लों में एक दिवसीय षिविर लगाकर ऐसे प्रषिक्षण कार्यक्रमों कि जानकारी देकर मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस तरह के प्रषिक्षणों में प्रषिक्षित करना चाहिये जिसस महिलाएँ स्वयं के पैरों पर खड़ी होकर स्वतन्त्र रूप से कमाई कर अपना समाज में समुचित स्थान बना सकें।
8. सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राईविंग की आजादी इस वर्ष 2018 में दी गई । वहाँ यात्रा, शादी, तलाक, मेडिकल ऑपरेषन, विदेष में पढ़ाई आदि हेतु पुरुश अभिभावक से अनुमति जरूरी होती हैं। ऐसे हालात में पुरे संसार में तुरन्त बदलना होगा तब हि मुस्लिम महिलाएँ राश्ट्र कि मुख्य विकास कि धारा में आगे बढ़ पावेगी।

उपरोक्त विवेचन एवं सुझावों से देष कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों का ध्यान आकृश्ट कर निवेदन हैं कि उदयपुर शहर कि मुस्लिम महिलाओं कि स्थिति अभी भी कमजोर हैं, उनका सामाजिक, शैक्षणिक स्तर कम हैं अतः उन्हें अगर राश्ट्र निमार्ण कि मुख्य धारा में लाना हैं तो उन्हें जागरूक करना जरूरी होगा उन्हें सरकार कि जन कल्याण योजनाओं में शामिल करना होगा, उन्हें स्वालम्बी बनाना होगा, उन्हें पुरूशों के समान उच्च षिक्षा देनी होगी क्योंकि स्त्री हि जीवन का आधार हैं वहीं जीवन जननी हैं वह ही पुरूश कि पोशक हैं अतः पुरुशों के बराबर के अवसर जब मुस्लिम महिलाओं को मिलेगें तब हि उनका एकीकृत उत्थान हो पावेगा, उनके परिवारों का उत्थान हो पावेगा और यही लगभग स्थिति देश की मुस्लिम महिलाओं की है । अतः देश की मुस्लिम महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार नितान्त आवश्यक है ।

विवेचनात्मक मुद्दे :

- दिनांक 14 अक्टूबर 2016 के दैनिक समाचार पत्रों में सुर्खियों ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और यूनिफॉर्म सीवील कोर्ट में विषयक समाचार प्रकाशित हुए जिनमें भारत सरकार ने इन मुद्दों पर आम लोगों से राय मांगी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार ने एक हलक नामा दायर कर लिखा हैं कि भारत में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का इस्लाम में रिवाज़ नहीं हैं। यह महिलाओं कि गरीमा के खिलाफ है। सरकार का यह कदम भारत देष कि मुस्लिम महिलाओं को राश्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का एक सकारात्मक प्रयास हैं।
- **श्रीमती ज़किया सोमण** सह संस्थापक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने भी स्पश्ट बयान दिया हैं कि मुस्लिम महिलाएँ केन्द्र सरकार के वक्तव्य को सही मानती हैं।उन्होने अपने बयान में स्पश्ट किया हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इन्साफ चाहिए, तलाक को हमारे धार्मिक कानून में वैद्य नहीं ठहराया है। **श्रीमति नज़मा हेपतुल्ला** महा महिम राज्यपाल मणिपुर राज्य ने बयान दिया हैं कि तीन तलाक की परम्परा कि गलत ढ़ग से व्याख्या कि हैं। एक बार में तीन बार तलाक कह कर तलाक की कोई अवधारणा नहीं हैं।
- अतः मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक एंव शैक्षणिक उत्थान समुचित रूप से जब हि सम्भव हो पाएगा जब उन्हें पुरूश के बराबर समानता के अधिकार मिलेगें ट्रिपल तलाक, बहु विवाह, पर्दाप्रथा जैसी प्रथाओं का पुनः अवलोकन होगा। देष में यूनिफॉम सिविल कोर्ट के मुद्दे पर भी खुली बहस सभी समुदायों को साथ रखा करने से मुस्लिम समुदाय को भी आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होने कि पूरी–पूरी सम्भावना हैं। साथ हि मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड के लिखित प्रावधानों की समस्या भी समय कि मांग है और इस हेतु मुस्लिम समाज के विद्वानों बुद्धिजीवी, ओलामाओं, मोलवियों को विस्तृत विचार विर्मष करते रहना चाहिए जिससे कि मुस्लिम महिलाएँ पुरूशों के कंधे से कंधा मिलाकर राश्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सके।
- यह यहां उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि मान्नीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य महसूस की जा रही है, जो चिन्ता का विषय है । इन विभिन्न योजनाओं को प्रारम्भ हुए दो से तीन वर्ष का समय व्यतीत हो गया है किन्तु इन योजनाओं जैसे मृदा बीमा योजना, व्यक्तिगत बीमा योजना, प्रसव बीमा, कौशल आजीविका विकास योजना, शिशु पालनहार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, मासिक कल्याण बोर्ड, सबको आवास योजना, छात्रा स्कूटी वितरण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का अनुपातिक फायदा देश की मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह शोध का विषय है । मुस्लिम महिलाओं को देश के संविधान में उतना ही हक प्रदान है जितना कि देश की आधि आबादी महिलाओं को है । देश के समान नागरिक कानून की बात हो रही है, वह देश हित में समयानुसार उचित प्रतीत होता है ।

देश की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं स्वयं उन्हें देश के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सभी को सम्भावित प्रयास करने होंगे । केन्द्र एवं राज्य सरकारों का विशेष शिविरों का आयोजन कर मुस्लिम महिलाओं के उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर को उठाना होगा, तभी देश का सर्वांगीण विकास हो पायेगा । लेखक द्वारा अंकित शोध के मुख्य परिणामों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा अमल करने की महत्ती आवश्यकता है ।